पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर कालवास

अनुवान सुरेन्द्र सिंह बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना–पत्र संख्या – 184 /2025

निर्णय दिनांक 25/6/25

सुरेन्द्र सिंह पुत्र बलवंत जाति जाट निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर कालवास में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 144 खसरा सं. 422 तादादी 7.4100 हैक्ट., खसरा नं. 423 तादादी 0.0632 हैक्ट., खसरा नं. 424 तादादी 0.0253 हैक्ट. खसरा नं. 455/115 तादादी 6.3225 हैक्ट. भूमि रोही ग्राम कालवास में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम सुरेन्द्रसिंह पुत्र बलवन्त दर्ज है जो कि गलत है सही नाम सुरेन्द्र सिंह पुत्र बलवंत है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्धि कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवारी हल्का ने प्रार्थी का नाम सुरेन्द्र सिंह पुत्र बलवंत किये जाने की अभिशंषा की गई है।

अतः कृषि भूमि रोही ग्राम कालवास तहसील तारानगर के खाता संख्या 144 खसरा सं. 422 तादादी 7.4100 हैक्ट., खसरा नं. 423 तादादी 0.0632 हैक्ट., खसरा नं. 424 तादादी 0.0253 हैक्ट. खसरा नं. 455/115 तादादी 6.3225 हैक्ट. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम सुरेन्द्रसिंह पुत्र बलवन्त Delete कर इसके स्थान पर सुरेन्द्र सिंह पुत्र बलवंत अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/6/25 को कैम्प कोर्ट बांय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)